

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री अवध शरन तिवारी स्मारक पब्लिक स्कूल,
परसदा बेलसर, गोण्डा।

पत्रांक: मा0शि0प0/मान्यता/

417

दिनांक: 03/10/2022

विषय: सीधे हाईस्कूल नवीन (कक्षा 06 से 10 तक) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरांत शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 (यथा संशोधित 2022) धारा-7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था श्री अवध शरन तिवारी स्मारक पब्लिक स्कूल, परसदा बेलसर, गोण्डा को अंग्रेजी माध्यम से बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2024 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा-9 की कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी दिवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है। तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहर्षित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएँ मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 संजु अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा संबद्ध 05 अन्य विरोध अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2012 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल क्लेरिफिकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

अवधीन,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता/

दिनांक: / /2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा।
- 2- सभागोय संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुमान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर।
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय प्रयागराज।

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर।